भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3009

07 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू और अन्य योजनाओं के अंतर्गत गतिविधियाँ

3009. **श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को आवास प्रदान किए गए हैं और स्वीकृत तथा निर्माणाधीन आवासों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या अमृत और अमृत 2.0 के अंतर्गत नागपुर जिले में शहरी जलापूर्ति, सीवरेज नेटवर्क और हरित आवरण में सुधार के लिए कोई ठोस पहल की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों चरणों के लक्ष्य और उपलब्धियाँ क्या हैं;

(घ) देश के शहरों, विशेषकर महाराष्ट्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक अपशिष्ट नियंत्रण के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या शहरी परिवहन क्षेत्र में ई-बसों, मेट्रो विस्तार और सार्वजनिक परिवहन के डिजिटलीकरण की योजनाओं को लागू किया गया है और यदि हाँ, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराना है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस

योजना की अवधि 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 7.09 लाख आवासों सहित कुल 119.26 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 112.81 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया गया और दिनांक 14.07.2025 तक 93.61 लाख आवास बनकर तैयार हो चुके हैं/ देश भर में लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए जा चुके आवासों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) और (ग): केंद्र सरकार द्वारा 25 जून, 2015 को देश के सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 500 शहरों (15 विलयित शहरों सहित 485 शहर) के लिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया गया था। इस मिशन के प्रमुख क्षेत्र हैं: जल आपूर्ति, सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्र एवं पार्क, गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन हैं।

अमृत 2.0 योजना 01 अक्टूबर, 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में शुरू की गई है, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकेंगे। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। जलाशयों का पुनरुद्धार, हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकास इस मिशन के अन्य घटक हैं।

अमृत और अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन, प्रस्ताव और कार्यान्वयन का अधिकार दिया गया है।

अमृत के तहत, नागपुर जिले ने 310.95 करोड़ रूपये की 2 जल आपूर्ति परियोजनाएं और 4.47 करोड़ रूपये की 3 हरित क्षेत्र और पार्क परियोजनाएं शुरू की हैं। राज्य की अन्य योजनाओं के साथ तालमेल से अमृत मिशन के तहत, नागपुर जिले में 1.13 लाख जल नल कनेक्शन (नए/सर्विस्ड) प्रदान किए गए हैं। अमृत के तहत नागपुर जिले में 10.58 एकड़ हरित क्षेत्र विकसित किया गया है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत अब तक 815.02 करोड़ रूपये की लागत की 3 जलापूर्ति परियोजनाओं, 1,743.91 करोड़ रूपये की लागत की 2 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं और 1.6 करोड़ रूपये की लागत की एक हरित क्षेत्र और पार्क परियोजना को अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित परियोजनाओं में 5.27 लाख नए/सर्विस किए गए नल कनेक्शन, 8.10 लाख नए/सर्विस किए गए सीवर कनेक्शन, 1,063.64 किलोमीटर (नया/मौजूदा) जल नेटवर्क, 1,222.44 किलोमीटर (नया/मौजूदा) सीवर नेटवर्क और 0.32 एकड़ हरित क्षेत्र शामिल हैं।

(घ): स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) के ठोस अपशिष्ट घटक के अंतर्गत, जिसे 100% कचरा मुक्त शहर (जीएफसी) का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए दिनांक 01.10.2021 को शुरू किया गया था, विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एमआरएफ), खाद संयंत्रों, जैव-मीथेनेशन संयंत्रों, रीफ्यूज्ड डीराईव्ड फ्यूल (आरडीएफ) प्रसंस्करण सुविधाओं, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं, अपशिष्ट से बिजली बनाने वाले संयंत्रों, निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट संयंत्रों, अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों/ सीबीजी संयंत्रों की स्थापना सहित सैनिटरी लैंडफिल के लिए केंद्रीय सहायता निधि प्रदान की जाती है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अंतर्गत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 2,006.59 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

i. एक 'प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परामर्शिका' विकसित की गई है जिसे https://sbmurban.org/storage/app/media/pdf/SBM%20Plastic%20Waste%20Book.pdf पर देखा जा सकता है।
ii. 'स्वच्छ सर्वेक्षण' और 'स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल' शुरू किए गए हैं और उन्हें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के साथ संरेखित किया गया है ताकि शहरों को एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(ङ): दिनांक 16 अगस्त 2023 को शुरू की गई "पीएम-ई-बस सेवा योजना" का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) के साथ सिटी बस संचालन को बढ़ावा देना है। इस योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 3-40 लाख की आबादी वाले शहर और 3 लाख से कम आबादी वाले अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानियाँ इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

इस योजना के अंतर्गत, दिनांक 31.07.2025 तक, 14 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों को 7,293 ई-बसें स्वीकृत की जा चुकी हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत बसों का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। 7,293 ई-बसों में से, 1,559 ई-बसें महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत की गई हैं। महाराष्ट्र के विभिन्न सहभागी शहरों को स्वीकृत बसों का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

आज तक, संबद्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर (बिहाइंड-द-मीटर विद्युत और सिविल डिपो इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास के लिए 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 475.44 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक IV में दिया गया है।

भारत सरकार ने स्थायी गतिशीलता प्राप्त करने हेतु मेट्रो रेल सहित सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं की व्यवस्थित योजना बनाने हेतु मेट्रो रेल नीति, 2017 जारी की है। वर्तमान में, देश भर के 24 शहरों में आरआरटीएस सहित लगभग 1,036 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क चालू है। मेट्रो रेल नेटवर्क का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहर-वार विवरण अनुलग्नक-V में दिया गया है।

इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन का डिजिटलीकरण रीयल-टाइम ट्रैकिंग, स्मार्ट कार्ड, मोबाइल ऐप (एएफसी/क्यूआर), राइडहेलिंग एकीकरण और क्रॉसमॉडल किराया संरचनाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जो सार्वजनिक परिवहन संचालन को बदल रहे हैं।

*****

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3009 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- ।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए जा चुके आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवासों का विवरण (संख्या)		
			स्वीकृत	निर्माणाधीन	पुर्ण आवास
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	19,47,297	18,26,698	10,78,686
2		बिहार	4,45,212	2,96,469	1,89,863
3		छत्तीसगढ	2,99,922	2,85,392	2,57,171
4		गोवा	3,146	3,146	3,145
5		गुजरात	9,93,877	9,72,208	9,41,419
6		हरियाणा	1,30,290	90,636	70,522
7		हिमाचल प्रदेश	12,640	12,640	11,381
8		झारखंड	2,43,421	2,10,640	1,59,751
9		कर्नाटक	5,84,086	5,08,586	3,94,054
10		केरल	1,61,957	1,55,162	1,34,127
11		मध्य प्रदेश	9,66,133	9,45,487	8,68,097
12		महाराष्ट्र	12,49,047	11,49,437	9,93,361
13		ओडिशा	2,15,339	1,85,963	1,64,880
14		पंजाब	1,33,270	1,18,475	97,920
15		राजस्थान	3,33,815	2,94,639	2,34,698
16		तमिलनाडु	6,70,425	6,69,514	6,07,051
17		तेलंगाना	3,61,755	2,35,023	2,23,627
18		उत्तर प्रदेश	19,75,035	17,59,770	17,02,317
19		उत्तराखंड	63,605	62,793	42,966
20		पश्चिम बंगाल	6,15,105	6,05,971	4,65,561
उप-योग (राज्य)			**1,14,05,377**	**1,03,88,649**	**86,40,597**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	13,379	8,739	8,068
22		असम	1,84,991	1,69,101	1,30,425
23		मणिपुर	52,519	49,593	18,397
24		मेघालय	4,758	4,083	1,995
25		मिजोरम	39,150	39,101	26,596
26		नागालैंड	31,067	31,060	29,029
27		सिक्किम	299	299	219
28		त्रिपुरा	90,989	88,416	78,061
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य)			**4,17,152**	**3,90,392**	**2,92,790**

29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	376	376	80
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	1,256
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	9,947	9,947	9,450
32		दिल्ली	29,976	29,976	29,976
33		जम्मू और कश्मीर	43,856	42,159	32,091
34		लद्दाख	1,283	991	882
35		लक्षद्वीप	-	-	-
36		पुदुचेरी	16,442	16,050	11,377
उप कुल (संघ राज्य क्षेत्र)			**1,03,136**	**1,00,755**	**85,112**
कुल			**119.26 लाख**	**112.81 लाख***	**93.61 लाख***

*इसमें पूर्ववर्ती योजना से संबंधित पीएमएवाई-यू मिशन अवधि के दौरान निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए क्रमशः 4.01 लाख और 3.41 लाख आवास शामिल हैं।

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3009 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- II

पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत ई-बसें (31.07.2025 तक)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत बसों की संख्या
1	चंडीगढ़	100
2	गुजरात	450
3	हरियाणा	450
4	जम्मू और कश्मीर	200
5	महाराष्ट्र	1,559
6	ओडिशा	400
7	पंजाब	347
8	मेघालय	50
9	बिहार	400
10	पुदुचेरी	75
11	असम	100
12	लद्दाख	15
13	मध्य प्रदेश	582
14	राजस्थान	675
15	छत्तीसगढ	240
16	उत्तराखंड	150
17	आंध्र प्रदेश	750
18	कर्नाटक	750
कुल		**7,293**

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3009 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- III

पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत महाराष्ट्र को स्वीकृत ई-बसें

क्र. सं.	राज्य	शहर	स्वीकृत ई-बसें
1.	महाराष्ट्र	नागपुर	150
2.		छत्रपति संभाजी नगर	100
3.		कल्याण डोंबिवली	100
4.		नासिक	50
5.		ठाणे	100
6.		वसई विरार	100
7.		अमरावती	50
8.		भिवंडी	100
9.		कोल्हापुर	100
10.		मीरा भयंदर	100
11.		सोलापुर	100
12.		उल्हासनगर	100
13.		अहमदनगर	40
14.		लातूर	50
15.		सांगली	50
16.		अकोला	50
17.		धुले	28
18.		इचलकरंजी	25
19.		जलगांव	50
20.		चंद्रपुर	50
21.		मालेगांव	26
22.		परभनी	40
कुल			**1,559**

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3009 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- IV

पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधियां

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई राशि (करोड़ रूपये में)
1	महाराष्ट्र	200.18
2	छत्तीसगढ	30.19
3	राजस्थान	44.46
4	चंडीगढ़	11.87
5	असम	6.47
6	ओडिशा	47.72
7	गुजरात	28.94
8	बिहार	87.55
9	पंजाब	18.06
कुल		**475.44**

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3009 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- V

देश में चालू मेट्रो रेल परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहर-वार विवरण

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**शहर**	**परिचालन लंबाई (किमी)**
1.	दिल्ली और एनसीआर	दिल्ली	395.817
2.		नोएडा	
3.		गाजियाबाद	
4.		फरीदाबाद	
5.		बल्लभगढ़	
6.		बहादुरगढ़	
7.		ग्रेटर नोएडा	
8.		गुरुग्राम	
9.		दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस	55
		उप-योग (दिल्ली और एनसीआर)	**450.817**
10.	कर्नाटक	बैंगलोर	76.95
11.	तेलंगाना	हैदराबाद	69
12.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	59.37
13.	तमिलनाडु	चेन्नई	54.245
14.	राजस्थान	जयपुर	12.1
15.	केरल	कोच्चि	28.48
16.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	22.878
17.		कानपुर	15.12
18.		आगरा	6
		उप-योग (उत्तर प्रदेश)	**43.99**
19.	महाराष्ट्र	मुंबई	98.63
20.		नागपुर	40.022
21.		पुणे	33.23
		उप-योग (महाराष्ट्र)	**171.882**
22.	गुजरात	अहमदाबाद	40
23.		गांधी नगर	22.7
		उप-योग (गुजरात)	**62.7**
24.	मध्य प्रदेश	इंदौर	6.2
कुल			**1,035.74**